

**बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग**

**अधिसूचना**

पटना, दिनांक -

सं0सं0-16/एच.1-10/2016 / (आ0चि0)/स्वा0 / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प सं0 434 दिनांक 01.03.2007 एवं परिपत्र सं0 881 दिनांक 03.06.2009 में सरकारी कर्मियों के लिए माह जून में प्रावधानित सामान्य स्थानान्तरण/पदस्थापन के निरूपित प्रावधानों के तहत आयुष प्रक्षेत्र के निम्नलिखित होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सामने कॉलम 4 में लिखित औषधालय/अस्पताल में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवपदस्थापन स्थान
1	2	3	4
1	डा0 रवि कुमार, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुतुबपुर (चकिया दियारा) छपरा	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मारीपुरमाल, पू0 चंपारण, मोतिहारी
2	डा0 गुलाम मो0 मोहीउद्दीन महबूब, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	राजकीय होमियोपैथिक औषधालय, पड़री, दरभंगा	जिला संयुक्त औषधालय, समस्तीपुर
3	डा0 अब्दुल मन्नान अंसारी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	जिला संयुक्त औषधालय, औरंगाबाद	जिला संयुक्त औषधालय, सासाराम
4	डा0 प्रदीप राय, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	जिला संयुक्त औषधालय, मुंगेर	जिला संयुक्त औषधालय, बेगूसराय
5	डा0 मो0 कुतुबुद्दीन, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	जिला संयुक्त औषधालय, दरभंगा	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिल्की, बेनीपुर, दरभंगा
6	डा0 आनंद भूषण चौधरी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	जिला संयुक्त औषधालय, भोजपुर, आरा	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काशीपुर, जगदीशपुर, भागलपुर

2- सभी स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारी अपने नये पदस्थापन स्थान पर 15 दिनों के अंदर कार्यभार निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे।

3- यह आदेश तुरन्त के प्रभाव से लागू होगा।

4- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक - 29.06.2018


ज्ञापांक :- 16/एच.1-10/2016 - 861 (आ. नि.)  
प्रतिलिपि- अवर सचिव, मुद्रणालय शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/ सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ विशेष सचिव /आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/ सम्बंधित जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी/ सम्बंधित प्रभारी

चिकित्सा पदाधिकारी, सम्बंधित अति0प्रा0स्वा0केन्द्र/ सम्बंधित सिविल सर्जन/ सम्बंधित आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

861 (आ. चि.)

29.06.2018